



2026:AHC:50459-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

जनहित याचिका संख्या - 2026 की 235

सुरेश चंद्र एवं 4 अन्य

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: विश्वरूप तिवारी

प्रतिवादी के अधिवक्ता: ए.के. गोयल ए.सी.एस.सी , आकाश द्विवेदी, प्रांजल मेहरोत्रा

मुख्य न्यायाधीश की अदालत

माननीय अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश

माननीय क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति

1. यह याचिका याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रतिवादियों को यह निर्देशित करने के लिए दायर की गई है कि वे ग्राम-अकबराबाद, जनपद-अलीगढ़ के गाटा संख्या 566-का पर जल निकासी को प्रभावित करने वाले सभी अतिक्रमणों को हटाते हुए गाँव के लिए तत्काल एक उचित और स्थायी जल निकासी व्यवस्था प्रदान करें।
2. याचिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि याचिकाकर्ताओं ने स्वयं अपने प्रत्यावेदन में यह संकेत दिया है कि 10 इंच की पाइपलाइन, जो जल निकासी के उद्देश्य से डाली गई थी, उसे अमर सिंह आदि द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया है, जिन्होंने सिविल जज (जूनियर डिवीजन), कोल, जनपद-अलीगढ़ के न्यायालय से व्यादेश स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है।
3. एक बार जब कथित अतिक्रमणकारियों के पक्ष में न्यायालय का व्यादेश प्रभावी है, तो उस व्यादेश के लागू रहते हुए इस न्यायालय से उक्त अतिक्रमणकारियों को हटाने का निर्देश माँगना स्वीकार्य नहीं है।
4. अतः, यह याचिका **खारिज** की जाती है।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. याचिकाकर्ता सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा दिए गए व्यादेश के विरुद्ध कानून के अनुसार उचित कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश)

12 मार्च, 2026

मुकेश पाल / साज़िया

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।